न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 183/2025 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2025/233**

1. प्रगोद कुमार पुत्र श्री जगदीश जाति बिश्नोई निवासी माणकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार(राजस्व), सूरतगढ़।

— रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः श्री सत्यपाल सहू एवं सुभाष सहू – अभिभाषक अपीलांट
राजकीय अभिभाषक – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 21.10.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार(भू.अ) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 12.07.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि रोही माणकसर के खसरा नंबर 261(288/261) की 1.341 हैक्टयर अपीलांट के पिता जगदीश पुत्र लेखराम के नाम सम्वत्2064–67 की जमाबंदी में खाता संख्या 8 पर बतौर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार(भू.अ) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 12.07.2025 द्वारा उक्त वादगत भूमि को अपीलाट के पिता जगदीश पुत्र लेखराम के नाम गलत इन्द्राज को शुद्ध कर अराजीराज दर्ज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार(भू.अ) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय अपील में प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय ने वादगत भूमि बाबत किसी प्रकार की

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सुनवाई व सबुत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए मनमाने तरीके से दिनांक 12.07.2025 को अवकाश के दिन अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अदालत माहतम द्वारा दिनांक 07.07.2025 को पटवारी हल्का से रिपोर्ट चाही गई जिसके पैरा नंबर 6 में ग्राम माणकसर की भूमि की कुल देय सम्वत् 2059–62 की जमाबंदी एवं सम्वत् 2063–66 की कुल देय दर्ज नही कर मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि सम्वत् 2064–67 की कुल देय 182.481 हैक्टयर भूमि दर्ज की है। जिसमें स्पष्ट अंकित किया है कि रकबा शामिल होने से कुल देय बढ़नी चाहिए थी जो नही बढी। फिर भी अपीलाधीन आदेश बिना माईण्ड एप्लाई किए पारित कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश के पैरा नंबर 3 में कृषि भूमि अपीलांट के पिता के नाम दर्ज रिकॉर्ड होना एवं मूल जमाबंदी के अन्तिम प्रमाण पत्र से प्रस्ताव नंबर 261 मीन 1 को शुद्धिकरण कर खसरा नंबर 288/261 दर्ज किया जाना अंकित किया है। खसरा नंबर 261 व खसरा नंबर 288/261 अलग अलग तरमीम शुदा खसरे है, तथा मुताविक नक्शा दोनों का रकबा 1.3401 व 1.3401 हैक्टयर दर्ज है। उक्त वादगत भूमि रोही माणकसर के खसरा नंबर 2064–67 की जमाबंदी में खाता संख्या 8 पर बतौर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। जो अपीलांट के पिता के समय से लगातार कब्जा एवं काश्त में चली आ रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2025 एवं उसकी पालना में दर्ज नामांतरकरण संख्या दिनांक 14.07.2025 निरस्त फरमाया जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह बताया है कि पटवारी हल्का एवं आफिस कानूनगों शाखा में उपलब्ध रिकॉर्ड में कहीं भी यह स्पष्ट नही होता हैं कि खसरा नंबर 261(288/261) की 1.341 हैक्टयर रकबा कभी भी जगदीश पुत्र लेखराम को आवंटन या बैयनामा या किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से प्राप्त हुआ हो। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अभिलेखों एवं रिकॉर्ड के अवलोकन से ही उक्त वादगत भूमि को मिथया/अशुद्ध प्रवृष्टि माना है। राजस्थान भू–राजस्व भू–अभिलेखन नियम 1957 की धारा 166 के तहत रोही मानकसर के खसरा नंबर 288/261 की 1.341 हैक्टयर भूमि जगदीश पुत्र लेखराम के वारिसान के नाम गलत इन्द्राज को शुद्ध कर अराजीराज दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं दौराने बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा—5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। वादगत भूमि खसरा संख्या 288/261 की 1.341 हैक्टयर भूमि को जगदीश पुत्र लेखराम का नाम अशुद्ध/मिथया प्रवष्टि मानकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 12.07.2025 द्वारा जगदीश पुत्र लेखराम वारिसान के नाम गलत इंन्द्राज को शुद्ध किया जाकर अराजीराज दर्ज किया जाने का आदेश पारित किया। अधिनस्थ न्यायालय ने वादगत भूमि बाबत अपीलांट को सुनवाई मौका दिए बिना एवं दिनांक 12.07.2025 को अवकाश के दिन अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। साथ ही अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी भी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त नही की है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार(भू.अ), सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2025 पारित करने से पूर्व न्यायोचित प्रक्रिया पालन नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार(भू.अ), सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2025 निरस्त किया जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर